न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
मुकदमा नम्बर :— 67/2018 (आर.सी.एम.एस. 2018/00105)
उनवानी प्रकरण :—

1. खुशीराम पुत्र भोगीराम जाति ठाकुर निवासी महूगुलावली (एकटा)तह. बसेडी
2. शिवदत्त पुत्र भोगीराम जाति ठाकुर निवासी महूगुलावली (एकटा) तहसील बसेडी जिला धौलपुर ———————————— प्रार्थीगण।

बनाम

1. चन्द्रकान्त पुत्र रामचरन जाति ब्राहमण निवासी नगला रायजीत तह. बसेडी
2. विरमा पत्नि रामचरन जाति ब्राहमण निवासी नगला रायजीत तह. बसेडी
3. पिंकी पुत्री रामचरन जाति ब्राहमण निवासी नगला रायजीत तह0 बसेडी
4. पुष्पा पुत्री रामचरन जाति ब्राहमण निवासी नगला रायजीत तह0 बसेडी
5. आशा पुत्री रामचरन जाति ब्राहमण निवासी नगला रायजीत तह0बसेडी
6. राजेश पुत्री रामचरन जाति ब्राहमण निवासी नगला रायजीत तह. बसेडी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी ———————— अप्रार्थीगण ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से :— श्री विनोद भार्गव अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण की ओर से :— श्री नेमीचन्द्र रावत अभिभाषक।

निर्णय दिनांक — 12.11.2018

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 527 रकवा 6 बीघा 17 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 550 मि. रकवा 8 बीघा 5 विस्वा सन् 1965 से तहसील बसेडी में चला आ रहा है। आराजी खसरा नम्बर 527 के सन् 2005 में पुनः खसरा नम्बर 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, कुल किता 5 कुल रकवा 1.73 हैक्टेयर वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी में बना दिये गये हैं. जो कि प्रकरण में विवादग्रस्त हैं और सन् 1965 का हाल खसरा नम्बर 527 रकवा 6 बीघा 17 विस्वा सन् 2005 में सादिक नम्बर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उपरोक्त वर्णित नम्बर 1965 में वगैर किसी आधार के रामचरन जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का पूर्वज हैं के नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया है। दिनांक 22.9.1965 को मृतक रामचरन ने जो कि 1 लगायत 6 का पूर्वज है ने एक प्रार्थना पत्र सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के यहाँ आवंटन हेतु प्रस्तुत किया और उसके प्रार्थना पत्र पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

ने दिनांक 15.10.1965 को गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जो कि विधि विरूद्ध एवं कानून की अवहेलना है। भू0 प्रबन्ध विभाग को कभी भी आवंटन किये जाने का अधिकार किसी भी कानून द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है। भू प्रबन्ध विभाग ने अधिकारियों को पूर्व की राजस्व प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार कानून में नहीं दिया गया है। अप्रार्थीगण का सन् 1965 से लेकर आज तक विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। और ना हीं उनके द्वारा कोई काश्त की गयी है। अप्रार्थीगण के पूर्वज रामचरन नगला रायजीत का रहने वाला था, जबकि जमीन एकटा में करीब 3 किमी. दूरी पर है, जिससे यह प्रकट होता है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश सही नहीं हैं। किसी भी सिवायचक जमीन पर यदि किसी का कब्जा हो तो इसके लिए यह प्रावधान है कि आवंटन कमेटी के सदस्य जिसमें सरपंच, प्रधान, तहसीलदार एवं उपखण्डाधिकारी मौजूद होते हैं। उनके द्वारा कोरम पूरा होने पर आवंटन किया जाता है। किन्तु इस प्रकरण में एक अनाधिकृत अधिकारी ने गैर खातेदारी दर्ज कराने का आदेश कर दिया है, जिसका कि उनको अधिकार ही नहीं था राज्य सरकार की नीति के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 उपरोक्त भूमि को अपने नाम गैर खातेदारी में दर्ज होने के कारण खुर्द बुर्द करने के इच्छुक है। अतः उनको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 कुल किता 5 कुल रकवा 1.73 हैक्टेयर वाके ग्राम एकटा का नामान्तकरण निरस्त किये जाने एवं दिनांक 15.10.1965 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश निरस्त कर रेफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस प्रार्थना पत्र में सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री नेमीचन्द रावत अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के अभिभाषक ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नोटिस का जबाव पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण का यह कथन सर्वथा गलत है कि वर्ष 1965 में उक्त आराजी के गैर खातेदारी अधिकार विपक्षीगण 1 के पिता के नाम बिना किसी आधार के चढा दिये गये। बल्कि सही तथ्य यह है कि विपक्षी नम्बर 1 के पिता मौके पर काबिज थे और उनके नाम के इन्द्राज नियमों के अधीन सही प्रकार से अंकित किये गये हैं। प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार नहीं है कि भू प्रबन्ध अधिकारी ने विधि विरूद्ध तरीके से गैर खातेदार के इन्द्राज कर दिये हो बल्कि बदोबस्त अधिकारी ने मौके व कब्जे के आधार पर सही इन्द्राज किये हैं। उक्त आराजी का आवंटन भू प्रबन्ध अधिकारियों ने नहीं किया है, बल्कि उक्त आराजी का सरकार द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पिता को काश्तकार मानने के आधार पर भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा सही इन्द्राज किये हैं। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षी के पिता का आधिपत्य रहा और कर लगान अदा करते रहे और अब विपक्षीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

रहे हैं। विपक्षीगण काश्तकार व्यक्ति है और अपनी आराजी को विक्रय करने के अभिलाषी नहीं है। भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय को रैफरेन्स की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। जबाव में विशेष कथन है कि उपरोक्त आराजी पर विपक्षी के पिता को सही रूप से गैर खातेदारी व खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये हैं। उपरोक्त आराजी के 40 वर्ष बाद कार्यवाही करने की प्रार्थना की है इतनी लम्बी अवधि के बाद रैफरेन्स की कार्यवाही किया जाना विधि अनुरूप नहीं है और न ही न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 की ओर से भी यही जबाव माना जावे।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2022 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2025, नकल जमाबन्दी ग्राम एकटा सम्वत् 2068 से 2071, नकल खसरा गिरदावरी वाके ग्राम एकटा सम्वत् 2067 से 2070, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम एकटा सम्वत् 2026 से 2029, नकल खसरा बन्दोवती ग्राम एकटा सम्वत् 2018 भू प्रबन्ध विभाग का आज्ञा पत्र दिनांक 22.9.1965 व 15.10.1965 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की ।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाव के समर्थन में असल प्रति पर्चा लगान भू प्रबन्ध विभाग, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम एकटा तहसील बसेडी, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम एकटा सम्वत् 2068 से 2071, 24 किता असल लगान रसीद वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी पेश की ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बन्दोवस्त विभाग ने सरकारी भूमि को बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कर दिया था, जिसके लिए बन्दोवस्त विभाग सक्षम नहीं था। इस सम्बन्ध में आर. आर. टी 2018(1) पेज संख्या 292 में यह प्रतिपादित किया हुआ है कि "Settlement department has no competence to change the kind of land, rights of tenurte-holders&entries in revenue record." जबाव के बिन्दु संख्या 3, 4, व 5 अवलोनीय है कब्जे के आधार पर इन्द्रज को सही माने रहे जो उचित नहीं हैं। अप्रार्थीगण को सिवायचक भूमि का आवंटन नियमन नहीं हुआ है ना ही अप्रार्थीगण शिकमी काश्तकार नहीं थे। वैसे लम्बे कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस सम्बन्ध में आर. आर. टी. 2017(2) पेज संख्या 1102 में यह प्रतिपादितत किया हुआ है कि "On the basis of long possession khatedari rights do not accure to a person." रैफरेन्स करने के लिए कलक्टर, सम्भागीय आयुक्त, एवं भू प्रबन्ध आयुक्त की सक्षम अधिकारिता है। न्याय क्षेत्र के परे किये हुये आदेश स्वतः ही निल व वोइड है, इसलिए इसका रेफरेन्स करने के लिए कोई मियाद नहीं होती है। आर. आर.डी 1991 पेज संख्या 218 में यह प्रति पादित किया हुआ है कि 'Linitation Act, Section 3-- Order void ab initio- Limitation does not orerate." खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण अपने लिए नहीं आये हैं। प्रार्थीगण सरकार के हित में ही आये हैं। भू प्रबन्ध अधिकारी कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने और तहसीलदार नामान्तकरण खोलने के लिए

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

सक्षम नहीं है। बन्दो वस्त विभाग द्वारा जारी पत्र आवंटन पत्र नहीं होकर केवल पर्चा लगान है आवंटन, आवंटन कमेटी के द्वारा किया जा सकता है। बिना कमेटी के आवंटन नहीं किया जा सकता है। पर्चा लगान की विधिक प्रमाणिकता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पर्चा लगान रसीदे भी विवादित आराजी खसरा नम्बर की नहीं है। पर्चा लगान रसीदों से भी स्वामित्व का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जावे ।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेफरेन्स की कार्यवाही सरकार के हित में ही हो सकती है। सरकार का कोई हित नहीं है। व्यक्तिगत मामले में धारा 82 के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में आर. आर. टी. 2012 (1) पेज संख्या 412 में यह प्रतिपादित किया हुआ है कि " Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec 82- Reference - Dispute between tow private parties-Maintainability-No Govt. interest or question of public policy involved-Held, Reference is not maintainable & dismissed." भू प्रबन्ध विभाग के पट्टे के आधार पर आवंटन हुआ है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश पर ही इन्द्राज हुआ है, इस आदेश के विरूद्ध अपील/ रिट नही हुई हैं। आवंटन के समय से आज तक अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। मौके पर पत्थर गढी भी करवाई गई है। प्रार्थीगण को आवंटन से आपत्ति थी तो 14 (4) के अन्तर्गत न्यायालय में आना चाहिए था धारा 82 के तहत कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। कब्जे के आधार पर विधिवत आवंटन हुआ है। प्रार्थीगण ने अपने समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। भू0 प्रबन्ध अधिकारी के आदेश का जिला कलक्टर अपीलीय न्यायालय नहीं हैं, उसे निरस्त करने का जिला कलक्टर को कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में आर. आर.टी. 2008(1) पेज संख्या 708 में यह प्रतिपादित किया हुआ है कि " **राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 – धारा 82 राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध रेफरेन्स– राजस्व अपील प्राधिकारी कलेक्टर से अधीनस्थ नहीं हैं और राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध रेफरेन्स करने हेतु सक्षम नहीं हैं।**" उपरोक्त आराजी की बावत 40 वर्ष बाद कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है इतनी लम्बी अवधि के बाद रेफरेन्स की कार्यवाही किया जना विधि अनुरूप नहीं है। इस सम्बन्ध में डी.एन.जे. 2010 पेज संख्या 764 में यह प्रतिपादित किया है कि " **राजस्थान भ– राजस्व अधिनियम 1956–धारा 82–रेफरेन्स –नामान्तरकरण संख्या 519 के सम्बन्ध में रेफरेन्स पेश करने हेतु आवेदन पेश किया– आवेदन खारिज किया– नजरसानी याचिका भी खारिज की – आवेदन पेश करने में 36 वर्ष का असाधारण विलम्ब– दो आवेदन पहले ही खारिज किये और यह तृतीय रेफरेन्स कार्यवाही थी– 15.10.1955 से रेस्पोडेण्ट के कब्जे में प्रश्नगत भूमि सरकार में निहित भूमि नहीं थी – नामान्तरकरण संख्या 519 के पश्चात् तहसीलदार द्वारा अन्य नामान्तरकरण संख्या 655 खोला गया –असाधारण विलम्ब धातक है–प्रश्नगत भूमि, भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती**

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

है–निर्णित, आलोच्य आदेश में अवैधता नहीं है व यथावत रखा। याचिका खारिज।"
अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि

1. वकील प्रार्थीगण के इस कथन से हम सहमत है कि बन्दोवस्त विभाग द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के सरकारी जमीन को अप्रार्थीगण के हक में गैर खातेदार दर्ज कर दिया । इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नजीर आर. आर. टी 2018(1) पेज संख्या 292 चस्पा होती है।
2. वकील प्रार्थीगण का यह कथन सही है कि किसी व्यक्ति को सरकारी जमीन का आवंटन / नियमन होने के पश्चात् ही गैर खातेदारी व खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं या शिकमी काश्तकार होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। लम्बे कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते । अप्रार्थीगण को सिवायचक भूमि का आवंटन नियमन नहीं हुआ है ना ही अप्रार्थीगण शिकमी काश्तकार रहे है। अतः अप्रार्थीगण को दिये गये खातेदार अधिकार अवैधानिक रूप से दिये गये हैं जो कानूनन एवं नियम विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में आर. आर. टी. 2017(2) पेज संख्या 1102 में दी गई नजीर पूर्णरूप से चस्पा होती है।
3. वकील प्रार्थीगण के इस कथन से हम सहमत हैं कि रैफरेन्स करने के लिए कलक्टर, सम्भागीय आयुक्त, एवं भू प्रबन्ध आयुक्त की सक्षम है। रेफरेन्स करने के लिए कोई मियाद नहीं होती है। आर. आर.डी 1991 पेज संख्या 218 में यह प्रति पादित किया हुआ है कि 'Linitation Act, Section 3-- Order void ab initio- Limitation does not orerate." उक्त नजीर प्रकरण पर लागू होती है।
4. बन्दो वस्त विभाग द्वारा जारी पत्र आवंटन पत्र नहीं होकर केवल पर्चा लगान है आवंटन, आवंटन कमेटी के द्वारा किया जा सकता है। बिना कमेटी के आवंटन नहीं किया जा सकता है। पर्चा लगान की विधिक प्रमाणिकता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पर्चा लगान रसीदे भी विवादित आराजी खसरा नम्बर की न होकर अन्य आराजी खसरा नम्बरों की नहीं है। पर्चा लगान रसीदों से भी स्वामित्व का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
5. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।
6. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि रेफरेन्स की कार्यवाही सरकार के हित में ही हो सकती है। सरकार का कोई हित नहीं है। इस प्रकरण में सरकार का ही हित नियत है । प्रार्थीगण इस रेफरेन्स से लाभान्वित नहीं होगा ।
7. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि व्यक्तिगत मामले में धारा 82 के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं उचित नहीं हैं । यह प्रकरण व्यक्तिगत प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है। इस सम्बन्ध में आर. आर. टी. 2012 (1) पेज संख्या 412 की नजीर चस्पा नहीं होती है।

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

8. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि आवंटन के समय से आज तक अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। मौके पर पत्थर गढी भी करवाई गई है। असत्य है इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।

9. अप्रार्थीगण के अभिभाषक का यह कहना कि प्रार्थीगण को आवंटन से आपत्ति थी तो 14 (4) के अन्तर्गत न्यायालय में आना चाहिए था धारा 82 के तहत कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, सही नहीं हैं क्योंकि अप्रार्थीगण को कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन ही नहीं हुआ है तो उक्त अधिनिणम की धारा 14(4) के अन्तर्गत कैसे आ सकता था ।

10. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि भू0 प्रबन्ध अधिकारी के आदेश का जिला कलक्टर अपीलीय न्यायालय नहीं हैं, उसे निरस्त करने का जिला कलक्टर को कोई अधिकार नहीं है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भू0 प्रबन्ध अधिकारी ने आदेश दिनांक 15.10.1965 अवैधानिक तरीके से पारित किया है, राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर खातेदार दर्ज कर दिया है जो अवैधानिक एवं कानूनन एवं नियम विरूद्व है। इसी प्रकार की त्रुटियों की दुरस्ती हेतु भू0 राजस्व अधिनियिम की धारा 82 में प्रावधान दिये गये हैं। इय सम्बन्ध में प्रस्तुत नजीर आर. आर.टी. 2008(1) पेज संख्या 708 चस्पा नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 527 रकवा 6 बीघा 17 विस्वा जिसका साविकखसरा नम्बर 550 मि. रकवा 8 बीघा 5 विस्वा तथा 2005 में पुनः खसरा नम्बर 527 के खसरा नम्बर 1046, 1047, 1048, 1409, 1050 कुल किता 5 रकवा 1.73 हैक्टेयर वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी के सम्बन्ध में भू0 प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.1965 को निरस्त करने एवं उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण के पूर्वज रामचरन के नाम के इन्द्राज निरस्त करने तथा रामचरन की मृत्यु उपरान्त उनके वारिशान के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 20.7.13 वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाने के आदेश दिये जाते हैं । दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 28.12.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उपस्थित होवे।

आदेश आज दिनांक 12.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एन. एम. पहाड़िया)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर
धौलपुर